

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO दिनांक 28.04.2023.

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस कार्य में जो मलबा निकलेगा उसका उपयोग मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा।
2	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	उप संचालक, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना ने हस्ताक्षर सहित Justification ऑनलाईन भाग-2 के Additional information Details के कॉलम में अपलोड कर दिया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।
3	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, TL, etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में Railway, WRD, TL, etc. की कोई परियोजना संचालित नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4	Cost-Benefit analysis as per revised NPV rates shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Cost-Benefit analysis प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।


5	The proposal is not recommended clearly by DFO in his Site Inspection Report (SIR). So, a revised SIR with clear recommendation shall be submitted.	उप संचालक, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना ने संशोधित Site Inspection Report (SIR) अनुशंसा कर प्रस्तुत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6	When was the existing road constructed? Details shall be submitted with proper evidence.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का है, जो सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट वर्ष 1970 में भी अंकित है।
7	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup of land required and component wise area calculation प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
8	Administrative approval/ sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, मिनिस्टरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवे, नई दिल्ली की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 24.03.2023 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
9	As per DSS analysis, the proposed CA area has 11.00 ha MDF. A revised CA area with all relevant information shall be submitted/uploaded.	उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना ने परिक्षेत्र किशनगढ़ (बफर) के कक्ष क्रमांक पी-480 में संशोधित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रु. 2,26,71,812/- की तैयार कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
10	As per the covering letter of proposal, the User Agency is PWD, NH Division, it seems that it is a State agency. So as per the FCA guidelines, non-forest land shall be submitted for CA.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि Copy of minutes of meeting issued by GOI MoEF&CC on 6 th July 2020 is attached here with in the meeting dated 24-06-2020 chaired DGF&SS with MoRTH & NHAI. It has been agreed that MoRTH will be entered as a "user agency" in the online application in PARIVESH, in such cases where work that is of Central Sector Project and is owned, developed and maintained by Central Government but the execution is carried out by a state government agency. As the user agency is MoRTH (Central Government) or a Central PSU, the dispensation of Compensatory Afforestation over double the degraded forest land, instead of equivalent non-forest land will be available in such cases. As such in the instant case the condition of equivalent Non-forest Land & Ten years CA is dispensed.
11	The proposed road is part of Panna TR, regarding NBWL/NTCA clearance shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी परिवेश पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक/FP/MP/ROAD/ 121709/ 2021 से किया गया है, जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

12	<p>The proposed road is part of Panna TR and there is movement of tiger and other wild animals. Para 12.14 (c & d) of FCA Handbook 2019 are applicable in this project.</p>	<p>आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि 12.14 Roads Passing through Protected Areas: The Standing Committee of NBWL has clarified regarding consideration of proposals for roads within PA as follows.</p> <p>a) The principles provided in the report of the sub-committee (Refer F.No 6-62/2013WL dated 22 December 2014) have been adopted as generic principle.</p> <p>b) New roads shall not be proposed inside National Park & Wildlife Sanctuary.</p> <p>c) The cases of resurfacing and strengthening of existing roads, not involving widening within protected area will be possible without reference to Standing Committee of National Board for Wildlife.</p> <p>d) The Cases of widening of existing roads, if unavoidable due to reasons of purpose and alignment, could be placed before the Standing Committee, which shall consider such cases keeping in view the feasibility of mitigation measures irrespective of cost.</p> <p>12.14 (d) is applicable for this Project.)</p>
----	---	--

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/5472
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/12/2023

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल